न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 26/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. लक्ष्मण पुत्र पुनमाजी जाति घाँची निवासी दयालपुरा तहसील पाली		1. डायाराम पुत्र पुनमा 2. सोनीया पुत्र पुनमा जातिगण घाँची निवासीगण दयालपुरा तहसील पाली 3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 15/7/19

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 512/2018 लक्ष्मण बनाम डायाराम में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट की सह खातेदारी भूमि हैं। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी के विभाजन एवं स्थाई व्यादेश का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में विधिवत सुनवाई की जाकर दिनांक 22.07.2007 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण कर विभाजन प्रस्ताव भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति मानते हुए वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज़ कर दिया, जबकि उस समय अन्तिम बहस भी सुनी जा चुकी थी। अपीलाण्ट को उक्त निर्णय की जानकारी होने पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

9 नियम 9 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से उक्त प्रार्थना पत्र भी खारिज़ कर दिया, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें तथा जैर अपील निर्णय अपास्त कराते हुए प्रकरण में पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें एवं वाद को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा विभाजन एवं स्थाई व्यादेश हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलाण्ट एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को अदम पैरवी में खारिज़ किया गया। जिसे रेस्टोर करवाने हेतु अपीलाण्ट द्वारा निर्णय पारित होने के 9 वर्ष पश्चात सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 9 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई समुचित कारण दर्शित नहीं किया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मियाद बाहर एवं आधारहीन होने के कारण खारिज़ किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं हैं।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी के 1/3 हिस्से की भूमि का विभाजन करवाते हुए पृथक से खातेदारी घोषित कराने तथा रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थाई व्यादेश से पाबन्द करवाने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए दिनांक 22.08.2007 को प्राथमिक डिक्री पारित कर जैर अपील विवादित आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार पाली को अधिकृत किया गया। तहसीलदार पाली द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2007/2069 दिनांक 19.08.2008 के जरिये प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आदेशिका दिनांक 24.09.2008 को वकील वादी सहमत होना जाहिर करते हुए प्रकरण को वास्ते आदेश नियत किया गया। इससे अगली तारीख पर पुनः बहस हेतु नियत किया गया। इसके पश्चात दिनांक 11.02.2009 को वादी एवं उनके अधिवक्त की अनुपस्थिति मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज़ कर दिया। इस निर्णय को अपास्त कराने हेतु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 9 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये खारिज़ कर दिया। विधि अनुसार जब मूल पत्रावली वास्ते आदेश नियत की जा चुकी थी एवं उसके पश्चात पुनः बहस में नियत की जाकर पैरवी के अभाव में खारिज़ किया जाना विधि सम्मत नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने का आधार मात्र यह रहा कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है, उसका कोई सन्तोषप्रद कारण दर्शित नहीं किया गया हैं। विधि का यह सारभूत तथ्य है कि जहां हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां मियाद के प्रावधान बाध्यकारी नहीं होतें हैं। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को उदार रूख अपनाते हुए पक्षकारान के हकों के निर्धारण हेतु विधि सम्मत कार्यवाही करनी चाहिए, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील आदेश पारित करने में नहीं की गई हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश त्रुटीपूर्ण होने से समर्थन योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 512/2018 लक्ष्मण बनाम डायाराम में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 को अपास्त किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2009 को भी अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/2/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली